Need to roll back commodity transaction tax

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I wish to bring to your attention that in the same breath that the Finance Minister announced the Loan Waiver Scheme.he imposed an increase of 900 per cent on the farmers going to the commodity markets for transacting their business.

Sir, ue Finance Minister, Shri P. Chidambaram, in his Union Budget 2008-09, had proposed a Commodity Transaction Tax (CTT) of Rs. 17 per lakh on the commodity derivatives, besides bringing the market under the net of service tax. This entails a rise of total transaction cost from Rs. 2.00 per lakh to Rs. 20 per lakh.

The function of price risk management of the futures market allows the farmers to hedge against the adverse price movement, thereby avoiding distress selling of their produce in the physical market. Similarly, the price discovery mechanism brings efficiency in the agricultural marketing process by generating stable prices over the life span of the crops. It needs to be understood mat commodity futures markets are performing an auxiliary function to the physical market, which is already being taxed. The hedging in futures market against price risk can be drawn parallel, can be compared with the insurance instrument, and, therefore, the double taxation, once as an insurance business and once as part business is entirely unfair. Being so, why should one get taxed merely for an insurance policy? It is also anticipated that me proposed tax would lead to volumes moving away from India to international exchanges and also to illegal 'dabba' markets within India. So, the nation, as a whole with the farming classes, in particular, shall stand to lose on account of this tax.

There is no tax on other asset classes as sensitive to transaction costs as commodities, nemely bond markets, call money markets, Forex markets and gold exchange traded funds. In case of bonds, the tax once levied had to be withdrawn on account of the dropping up of the volumes in less than six months. ...(Interruptions)... Why have the commodities been singled out for this treatment? Is it the intention of the Government to kill the commodity futures markets through this kind of taxation? I urge that the proposal of imposing CTT be rolled back in the interest of the farmers of India.

SHRI BANWARI LAL KANCHHAL (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with what the hon. Member has said.

SHRI SHAHID SIDDIQUI (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with what the hon. Member has said.

SHRI VEER PAL SINGH YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with what the hon. Member has said.

Malpractices involved in procurement of wheat by FCI in Uttar Pradesh

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभापित महोदय, मैं एफसीआई द्वारा किसानों के गेहूं खरीद में बरती गयी धांधली के मामले को सदन के समक्ष उठाना चाहता हूं। किसानों की हालत पर चिंता देश में भी जताई गयी और इस सदन में भी जताई गयी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार सत्तारूढ है जिसके एजेंटे पर किसान हैं नहीं और केन्द्र की सरकार और विशेषकर जो हमारे कृषि मंत्री है, वह उत्तर प्रदेश को अपना मानते ही नहीं। वहां का किसान इन दो चिक्कियों में पिस रहा है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं खरीद में धांधलेबाजी की शिकायतें आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्वार्थनगर में भारतीय खाद्य निगम किसानों से सीधे गेहूं खरीदने के बजाय आढ़तियों और ब्यापरियों से गेहूं खरीद रही है। यद्यपि जगह-जगह भारतीय खाद्य निगम के बैनर लगे हैं, जिन पर गेहूं क्रय केन्द्र भारतीय खाद्य निगम लिखा है, परन्तु वहां पर कोई खरीददारी नहीं होती है। वहां पर कोई कर्मचारी, बाट या तराजू नहीं है। आढतिये किसानों से 950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 100 किलो के बजाय 101 किलो गेहूं खरीदते हैं, साथ ही दो रुपये प्रति बोरा अग्रिम किसानों से वसूल करते हैं। इस प्रकर किसानों को लगभग प्रति क्विंटल 100 रुपये का नुकसान होता है। सिद्धार्थनगर की तरह अन्य जनपदों में भी इस तरह की शिकायतें हैं। इस काम में भारतीय खाद्य निगम व जिला प्रशासन के अधिकारी भी लिप्त है। किसानों की लूट का यह एक नया तरीका निकाला गया है। अतः यह अहुत ही गंभीर मामला है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिचौलियों द्वारा गेहूं को खरीदना तत्काल बंद किया जाये और इस कदाचार में शामिल भारतीय खाद्य निगम के अधिकरियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये तथा गेहूम क्रय केन्द्रों को नियमित रूप से चलाने का निर्देश दिया जाये।

श्रीमती जया बद्यन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्घ करती हूं। श्री शाहिद सिदीकी: (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्घ करता हूं।

﴿ آشِرِی شاہد صدیقی (اتر پردیش): مہودے، میں ماتئے سدسنے سے خود کو سمبدَ ہے کے تا بورہ کے

श्री बनवारी लाल कंछलः (उत्तर प्रदेश)ः महोदय,में माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्घ करता हूं। श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्घ करता हूं। श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्घ करता हूं। श्री अबू आसिम आज़मी (उत्तर प्रदेश) महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्घ करता हूं।

SPECIAL MENTIONS

Concern over atrocities against Scheduled Castes in the country

श्री कृष्णा लाल बाल्मीकि (राजस्थान): महोदय, दलित विरोधी प्रवृत्ति के कारण अनुसूचित जातियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। गत दिनों में अनुसूचित जातियों के साथ हो रहे जातीय आधारित भेदभाव, प्रताड़ना एवं अत्याचार की घटनाओं पर विश्व स्तर पर कार्यरत मानवाधिकार निगरानी संगठनों द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित कर इन घटनाओं पर गम्भीर चिंता व्यक्त की गई । इस विषय में दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को भारत सरकार ने जो उन्हें जवाब/रिपोर्ट भेजी है, उसमें प्रधान मंत्री द्वारा दलितों के साथ हो रहे छूआछूत के व्यवहारों एवं अत्याचारों को स्वीकार किया गया। वर्ष 2005 में 26127 केस न्यायालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह उपेक्षापूर्ण क्रियाकलाप हैं।

गत वर्ष की जो घटनाएं हैं, उनमें जामनगर गुजरात के मेयर को असामाजिक तत्वों ने जान से मारने का प्रयास किया गया। पंजाब के पत्रईवाला गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हिरयाणा के गोहना कांड में अनुसूचित जाति/बालमीकियों के घरों को जलाया गया। राजस्थान में भोड़की सीकर में बाल्मीकि अव्यस्क लड़की के साथ बलात्कार कार उसकी हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के खैरलांजी गांव में अनुसूचित जाति परिवार की महिलाओं से बलात्कार करके उनकी हत्या तथा उनके परिजनों की भी हत्या कर दी गई, लेकिन घटना के कई दिनों बाद तक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार देश भर में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के साथ दुष्कर्म एवं उनको बेइज्जत करने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। विभिन्न राज्यों में लगातार अनुसूचित जाति वर्ग पर सार्वजनिक अपमान एवं अत्याचार की घटनाएं हो रही है।

अतः में सदन के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को तत्काल रोकने की मांग करता हूं।

^{† [}Transliteration in Urdu Script],